

राज्यपाल के अवर सचिव
Under Secretary to Governor



राज भवन, रायपुर
RAJBHAVAN, RAIPUR

दूरभाष Telephone -

कार्यालय Office : 2331101

निवास Res. :

फैक्स Fax : 2331104

क्रमांक / 3684 / 11293 / 2009 / रास / यू-5
प्रति,

रायपुर, दिनांक ६ / ०८ / २०१५

कुलपति,
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय,
नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-८, भिलाई,
जिला-दुर्ग (छ.ग.) - 490 009.

विषय :- छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र.-१० में संशोधन बाबत।

सन्दर्भ :- विश्वविद्यालय पत्र क्र./छगस्वावितवि/प्रशा/२०१५/१९०९, दिनांक २४.०७.२०१५.

सन्दर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम २००४ की धारा ३९ (२) में निहित प्रावधानानुसार, विश्वविद्यालय में कार्य-परिषद की ४२वीं बैठक दिनांक ३०.०६.२०१५ द्वारा अनुमोदित अध्यादेश क्रमांक-१० (Ordinance for Doctor of Philosophy) में Clause No. 3.4 (iv) के पश्चात नवीन Clause No. 3.4(v) "Teachers holding contract appointment, who have served as teachers for a total minimum period of four years in a department of the University / affiliated college / institution" जोड़े जाने सम्बन्धी प्रस्ताव को माननीय कुलाधिपति, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई के द्वारा यथानुरूप अनुमोदन किया गया, जो दिनांक ०३.०८.२०१५ से प्रवृत्त होगा।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

कुलाधिपति
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी
विश्वविद्यालय, भिलाई के आदेशानुसार

(आर.के. स्वस्तिक)

राज्यपाल के अवर सचिव

छत्तीसगढ़

पृष्ठा. क्रमांक / / 11293 / 2009 / रास / यू-5

रायपुर, दिनांक / 08 / 2015

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ प्रेषित

कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, नार्थ पार्क एवेन्यू, सेक्टर-८, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)-490 009 की ओर सन्दर्भित पत्र के अनुक्रम में।